तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10-02-21	पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उप०। बहस वकील वादी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश दिनांक 22/02/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/2/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादीगण उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादीगण का सही नाम बृजेश कुमार शर्मा पुत्र चतरुराम, मदनलाल पुत्र चतरुराम, सुरेश कुमार शर्मा पुत्र चतरुराम, रामनारायण पुत्र चतरुराम है। परन्तु चतरुराम की मृत्यु होने पर राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीगण का बोलता व गलत नाम गुड्डू पुत्र चतरा, मदन पुत्र चतरा, सुरेश पुत्र चतरा, रामनारायण पुत्र चतरा दर्ज किया गया एवं वादीगण की जाति जांगिड के आगे कोष्ठक में खाती नही लिखा गया। इस कारण वादीगण को काफी हकतलफी है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जावे। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में पैन कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश किये। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में वादी बृजेश कुमार का लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किया। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गुड्डू पुत्र चतरा, मदन पुत्र चतरा, सुरेश पुत्र चतरा, रामनारायण पुत्र चतरा एवं जाति जांगिड अंकित है। वादीगण का कथन कि वादीगण का नाम का सही नाम क्रमशः बृजेश कुमार शर्मा पुत्र चतरुराम, मदनलाल पुत्र चतरुराम, सुरेश कुमार शर्मा पुत्र चतरुराम, रामनारायण पुत्र चतरुराम एवं जाति जांगिड (खाती) है की पुष्टि प्रस्तुत [illegible] कार्ड, [illegible], पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र [illegible] वादी बृजेश कुमार के लिखित [illegible] पत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात व शपथ पत्रों के आधार पर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाना उचित है। (हस्ताक्षर) (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:17 IST
Reason: SelfAttested

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी........ मुकाम नीमकाथाना........

........बृजेश कुमार........ बनाम ....भूमिधारी........

किस्म मुकदमा ....~~प्रार्थना~~ वाद पत्र घोषणा 88 रा0का0अ0 .... नं. 145 / 2019 सन् ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बिहीरीपुर पटवार हल्का बिहीरीपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 392 रकबा 1.43 है0 में दर्ज खातेदार गुड्डू पुत्र चतरा, मदन पुत्र चतरा, सुरेश पुत्र चतरा, रामनारायण पुत्र चतरा जाति जांगिड के स्थान पर बृजेश कुमार शर्मा पुत्र चतरुराम, मदनलाल पुत्र चतरुराम, सुरेश कुमार शर्मा पुत्र चतरुराम, रामनारायण पुत्र चतरुराम एवं जाति जांगिड (खाती) दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:06:17 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना